

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
 चोदमाली बनाम अ/ल/

किस्म मुकदमा/धारा:- प्रार्थना पत्र 111-123

प्रकरण संख्या.....12...../2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंग्लिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील जारी हुए
8/1/2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27/1/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 30/2/2026 को वास्ते तामील पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
30/02/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, यस्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेशार्थ पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दखिल दस्तक हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 12/2026

तारीख दायर 8/1/2026

1. चांदमल पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

1. बालू पिता पेमा जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. प्रभु पिता काना जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 3/2/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी चांदमल ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 88 पर स्थित आराजी संख्या 1451/619 रकबा 0.2428 हैक्टेयर व 483 रकबा 0.0405 कुल किता 2 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भुमि, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम भुमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 88 पर स्थित आराजी संख्या 1451/619 रकबा 0.2428 हैक्टेयर व 483 रकबा 0.0405 कुल किता 2 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भुमि, की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 12/2026

तारीख दायर 8/1/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 12/2026 प्रत्थरगढी

बाबत् ।

1 चांदमल पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी
सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

1. बालू पिता पेमा जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी सलावटिया
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. प्रभु पिता काना जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी सलावटिया
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा
ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया
तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 88 पर स्थित आराजी संख्या 1451/619
रकबा 0.2428 हैक्टेयर व 483 रकबा 0.0405 कुल किता 2 रकबा 0.2833
हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के
दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा
समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय
कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो
को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ